कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय, भोपाल

नि.-7003-PBR-16

प्रकरण क्रमांक ..................15/16

(33)

श्रीमति सुभाषिनी भार्गव पत्नी श्री सुबोध भार्गव
निवासी ग्राम पोस्ट दिल्लोद, तह. बैरसिया
जिला भोपाल

................. रिवीजनकर्ता/ आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र. शासन व्दारा कलेक्टर आफ स्टांप
भोपाल

.............. उत्तरदाता/ अनावेदक

श्री वी०शर्मा० चौहान अधि० द्वारा आज दि० 21/12/15 को प्रस्तुत।

21/12/15

कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टांप एक्ट 1899

माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टांप जिला भोपाल के प्र0क0 18/सी –132/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 से व्यथित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष समयअवधि मे प्रस्तुत की गयी है:–

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 7003-पीबीआर/2016 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7-9-2016 | उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बोलता हुआ सकारण आदेश पारित नहीं करते हुये संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 49(ख) के अन्तर्गत मुद्रा पत्र रिफण्ड योग्य नहीं है, जबकि उनका विधिक दायित्व था कि वे सकारण आदेश पारित करते कि संहिता की धारा 49(ख) के अन्तर्गत क्यों कर मुद्रा पत्र रिफण्ड योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 50(2) एवं 54(ग) के अनुसार मुद्रा पत्र रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र छह माह की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 50 का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा मुद्रा पत्र रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र 6 माह की निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं है, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अधिनियम की धारा 49, 50(2) एवं 54(ग) के प्रावधानों पर विचार करते हुये आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में विस्तृत सकारण आदेश पारित करें ।<br><br>अध्यक्ष | |